न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या —102/2015 अपील (RCMS/2015/00099)
पंजीयन दिनांक —06.08.2015
निर्णय दिनांक —26.12.2018

1. श्रीमती मगनी बाई पुत्री श्री एकलिंग सुथार, पत्नी श्री जमनेश सुथार, निवासी बावलास, तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा।
2. श्रीमती धन्नीबाई पुत्री श्री एकलिंग सुथार, निवासी आगरिया, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द।

—अपीलान्टस्

बनाम

1. ग्राम पंचायत आगरिया जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत आगरिया, तहसील आमेट जिला राजसमन्द।
2. श्रीमती कमला तथाकथित पुत्री रामचन्द सुथार, निवासी आगरिया, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द।
3. श्रीमती सूरजबाई पुत्री श्री एकलिंग जी सुथार पत्नी रामचन्द्र सुथार, निवासी सरदारगढ़, तहसील आमेट जिला राजसमन्द।

—रेस्पोडेन्टस्

उपस्थितिः—

1. श्री सम्पतलाल बोहरा — वकील अपीलान्ट
2. श्री पी.सी.पालीवाल — वकील रेस्पोडेंट संख्या—2

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील अर्न्तगत धारा—75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.), आमेट प्रकरण संख्या 11/2013 दिनांक 30.06.2014

निर्णय

दिनांक 26.12.2018

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अर्न्तगत धारा—75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.), आमेट प्रकरण संख्या 11/2013 दिनांक 30.06.2014 के विरुद्ध पेश की गई है।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम आगरिया पटवार मण्डल आगरिया में श्री एकलिंग जी की आराजी नम्बर 445, 449, 450, 451 कुल किता 4 रकबा 0.5700 हैक्टर कृषि भूमि स्थित है। श्री एकलिंग जी की मृत्यु 30 वर्ष पूर्व हो जाने ग्राम पंचायत आगरिया द्वारा नामान्तकरण संख्या 231 दिनांक 03.01.1982 से उक्त भूमि विरासत से उसके पुत्र श्री रामचन्द्र के नाम दर्ज की।

उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध अपीलान्ट, उनकी माता अणछी बाई एवं रेस्पोडेंट संख्या–3 द्वारा उपखण्ड अधिकारी, आमेट समक्ष अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि श्री एकलिंग जी की पत्नि श्रीमती अणछी, उसका एक पुत्र श्री रामचन्द एवं तीन पुत्रियां मगनी, धन्नी बाई, सरजु होकर उसके उत्तराधिकारी थे, परन्तु ग्राम पंचायत आगरिया द्वारा उक्त नामान्तरकरण से सम्पूर्ण भूमि श्री रामचन्द के नाम दर्ज कर दी।

उपखण्ड अधिकारी, आमेट समक्ष श्रीमती कमला द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 25.07.2012 को पेश कर श्री रामचन्द्र की विधिक उत्तराधिकारी होने से पक्षकार बनाने का अनुरोध किया और पत्र के साथ में उसके कथन के समर्थन के साक्ष्य प्रस्तुत किए। उपखण्ड अधिकारी, आमेट द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस सुनकर श्रीमती कमला को पक्षकार बनाने के आदेश दिये।

उपखण्ड अधिकारी, आमेट द्वारा अपने निर्णय दिनांक 27.06.2013 से अपील अपीलान्ट स्वीकार कर मृतक एकलिंग की वारिसान प्रार्थीगण (अणछी, मगनी, धन्नी, सरजु) व मृतक रामचन्द की वारिसान श्रीमती कमला होने से ग्राम पंचायत आगरिया द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 231 दिनांक 03.01.1982 निरस्त किया एवं तहसीलदार, आमेट को प्रतिप्रेषित कर आदेशित किया कि उपरोक्त नामान्तरकरण संख्या 231 के पक्षकारान का सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए मृतक के वारिसान की विधि अनुसार जांच करते हुए निर्णय पारित करें।

सत्यमेव जयते

उक्त आदेश की पालना तहसीलदार (भू.अ.), आमेट द्वारा पक्षकारों को नोटिस जारी कर अवसर प्रदान कर निर्णय दिनांक 30.06.2014 से ग्राम पंचायत आगरिया के आराजी नम्बर 445, 449, 450, 451 कुल किता 4 रकबा 0.5700 हैक्टर में श्री रामचन्द्र पिता एकलिंग के बजाय कमला पुत्री रामचन्द्र 1/5, अणछी पति एकलिंग, मगनी, धन्नी, सरजु पिता एकलिंग 4/5 सुथार सा. आगरिया के नाम दर्ज करने की स्वीकृति दी एवं पटवारी हल्का आगरिया को राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने हेतु आदेशित किया।

Web Copy - Not Official

श्रीमती कमला को बिना किसी आधार पर श्री रामचन्द्र के 1/5वें हिस्से का मालिक मानते हुए पारित उक्त निर्णय दिनांक 30.06.2014 से क्षुब्ध होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील अपीलान्ट एवं वकील रेस्पोडेंट संख्या–2 उपस्थित, जिनकी बहस दिनांक 18.12.2018 को सुनी गई। दीगर रेस्पोडेंटस् की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में बताया कि श्री एकलिंग जी की पत्नि श्रीमती अणछी, उसका एक पुत्र श्री रामचन्द एवं तीन पुत्रियां मगनी, धन्नी बाई, सरजु होकर उसके उत्तराधिकारी थे। परन्तु ग्राम पंचायत आगरिया द्वारा उक्त नामान्तरकरण से सम्पूर्ण भूमि श्री रामचन्द के नाम दर्ज कर दी। रामचन्द्र का स्वर्गवास लाऔलाद हुआ था इस कारण रामचन्द्र की जायदाद के मालिक काबिज उसकी माता अणछी एवं उसकी तीनों बहने मगनी, धन्नी, सरजु ही हुई थी और 1/4, 1/4 हिस्से के चारों मालिक काबिज हुए परन्तु रामचन्द्र की ओर से एक औरत ने गलत तरिके से अपने आपको रामचन्द्र की लड़की बताते हुए पार्टी बनने हेतु प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, आमेट के यहा पेश किया जिसे न्यायालय द्वारा पक्षकार बनाया गया और श्रीमती कमला को बिना किसी आधार पर श्री रामचन्द्र के 1/5वें हिस्से का मालिक मानते हुए पारित उक्त निर्णय विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। रामचन्द्र लाऔलाद फोत हुए थे, उनके कोई लड़का व लड़की नहीं था। अन्य किसी रामचन्द्र जो भीलवाड़ा का रहने वाला है, उसके कोई लड़की हुई होगी, उसका एकलिंग जी के लड़के रामचन्द्र से कोई सम्बन्ध नहीं होते भी जो आदेश पारित किया उसमें कोई जांच नहीं की गई। धारा 8 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार रामचन्द्र की भूमि पर उसकी माता अणछी एवं उसकी तीनों बहने मगनी, धन्नी, सरजु 1/4, 1/4 हिस्से के चारों मालिक काबिज हुए और रामचन्द्र की मृत्यु उपरान्त नामान्तरकरण भी इन चारों के नाम पर ही दर्ज किया जावेगा। विद्वान वकील अपीलान्ट ने निवेदन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर मुकदमा नम्बर 11/13 दिनांक 30.06.2014 में संशोधन करते हुए विवादित जायदाद का म्यूटेशन अपीलान्टस् एवं रेस्पोडेंट संख्या–3 के नाम पर ही स्वीकृत करने का आदेश प्रदान करावें। अपने कथन के समर्थन के विद्वान वकील अपीलान्ट ने न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2003(1) पेज 650 पेश किया।

सत्यमेव जयते Web Copy Not Official

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 मयाद अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने कथित आदेश प्रार्थीगण की मौजुदगी में नहीं सुनाया गया था तथा वकील साहब ने कहा कि इसका फैसला होते की मैं आपको सूचित कर दुंगा परन्तु सूचित नहीं किया गया। दिनांक 01.06.2015 को वकील से फैसले की जानकारी प्राप्त होने पर नकल प्राप्त कर उक्त अपील पेश की एवं अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा करने का अनुरोध किया।

विद्वान वकील रेस्पोडेंट संख्या–2 ने अपनी बहस में बताया कि सवप्रर्थम प्रकरण को मयाद के बिन्दु पर निर्णित किया जावें। अपीलान्ट द्वारा अपने कथन के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए। अपील देरी में प्रस्तुत कारण उचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त पक्षकारों को जरिये नोटिस सूचित किया गया और अपीलान्टस् को निर्णय की पूर्ण जानकारी थी फिर अपील जानबुझकर देरी से प्रस्तुत की गई है, प्रकरण में वास्तविक तथ्य सामनें आने से अपीलान्ट द्वारा अपील पेश नहीं की। अतः अपील मयाद के बिन्दु पर खारिज की जावें। अपने कथन के समर्थन में वकील रेस्पोडेंट संख्या–2 ने न्यायिक दृष्टांत आरबीजे (24) 2017 पेज 122 पेश किया।

विद्वान वकील रेस्पोडेंट संख्या–2 ने अपनी बहस में यह भी बताया कि रेस्पोडेंट संख्या–2 श्रीमती कमला श्री रामचन्द्र पुत्र श्री एकलिंग की एकमात्र विधिक उत्तराधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेट द्वारा अपने निर्णय दिनांक में इस सम्बन्ध में पूर्ण तथ्यों एवं दस्तावेजों की जांच उपरान्त रेस्पोडेंट संख्या–2 श्रीमती कमला को रामचन्द्र की पुत्री होना जाहिर किया है और उसके नाम से भी नामान्तरकरण स्वीकृत करने का आदेश पारित किया है। दौराने अपीलीय प्रक्रिया उपखण्ड अधिकारी, आमेट के समक्ष कमला की विवाह पत्रिका, 8वीं बोर्ड की अंक तालिका, प्रगति पत्र स्कूल के पेश किए है। उपखण्ड अधिकारी, आमेट द्वारा बहस सूनी गई और निर्णय पारित किया गया। श्रीमती कमला द्वारा इसकी ताईद में एक शपथ अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें उसके द्वारा शपथ पूर्वक कथन किया गया कि वह एक मात्र रामचन्द्र की जायन्दा पुत्री होकर विधिक वारिस हॅू एवं श्री रामचन्द्र के जीवनकाल में उसके अलावा अन्य कोई विधिक वारिसान नहीं है। श्रीमती कमला की पढ़ाई उसके ननिहाल भीलवाड़ा में हुई ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता है कि उसके पिता की भूमि में उसका अधिकार समाप्त हो गया है। प्रस्तुत दस्तावेज यह प्रकट करते है कि श्रीमती कमला श्री रामचन्द्र की एकमात्र पुत्री होकर विधिक वारिस है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखने का निवेदन किया।

हमने उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का गहनता से अध्ययन किया।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 मयाद अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने कथित आदेश प्रार्थीगण की मौजुदगी में नहीं सुनाया गया था तथा वकील साहब ने कहा कि इसका फैसला होते की मैं आपको सूचित कर दुंगा परन्तु सूचित नहीं किया गया। विद्वान वकील रेस्पोडेंट संख्या–2 ने अपनी बहस में बताया कि अपीलान्ट द्वारा अपने कथन के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए। अपील देरी में प्रस्तुत कारण उचित नहीं है।

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त पक्षकारों को जरिये नोटिस सूचित किया गया और अपीलान्टस् को निर्णय की पूर्ण जानकारी थी फिर अपील जानबुझकर देरी से प्रस्तुत की गई है, प्रकरण में वास्तविक तथ्य सामनें आने से अपीलान्ट द्वारा अपील पेश नहीं की। हमनें मयाद के बिन्दु पर वकील अपीलान्ट एवं वकील रेस्पोडेंट–2 की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सभी खातेदारों की तामील हो चुकी है, सम्बन्धित अधिवक्तागण द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत कर उपस्थितियां दी गई। वकील अपीलान्ट द्वारा अपने कथन के समर्थन दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए। ऐसी स्थिति में अपील निर्धारित अवधि में की जानी थी, जो देरी से प्रस्तुत की गई जिस हेतु दिये गये कारण न तो उचित है, न पर्याप्त है एवं न ही संतोषप्रद ढंग से विलम्ब स्पष्ट किया है। वकील रेस्पोडेंट संख्या–2 द्वारा प्रस्तुत मयाद कन्डोन से सम्बन्धित न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण से सुसंगत है तथा इस प्रकरण में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कन्डोन किये जाने के लिए कोई उचित एवं पर्याप्त आधार नहीं है एवं अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने से खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के बावजुद प्रश्नगत अपील में तथ्यों, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों पर भी मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेट द्वारा अपने निर्णय दिनांक में पूर्ण तथ्यों एवं दस्तावेजों की जांच उपरान्त रेस्पोडेंट संख्या–2 श्रीमती कमला को रामचन्द्र की पुत्री होना जाहिर किया है। तहसीलदार (भू.अ.), आमेट द्वारा प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने पर पक्षकारों को नोटिस जारी कर अवसर प्रदान कर निर्णय दिनांक 30.06.2014 से ग्राम पंचायत आगरिया के आराजी नम्बर 445, 449, 450, 451 कुल किता 4 रकबा 0.5700 हैक्टर में श्री रामचन्द्र पिता एकलिंग के बजाय कमला पुत्री रामचन्द्र 1/5, अणछी पति एकलिंग, मगनी, धन्नी, सरजु पिता एकलिंग 4/5 सुथार सा. आगरिया के नाम दर्ज करने की स्वीकृति दी एवं पटवारी हल्का आगरिया को राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने हेतु आदेशित किया। श्रीमती कमला के श्री रामचन्द्र की एकमात्र पुत्री होने से एक मात्र विधिक वारिसान होने के सम्बन्ध में अधिवक्ता द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य तहसीलदार, उपखण्ड अधिकारी एवं इस स्तर पर प्रस्तुत किये गये।

उक्त परिस्थितियों एवं तथ्यों के परिक्षण उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 30.06.2014 पारित किया गया जो पूर्णतया विधिसम्मत होकर हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) का निर्णय दिनांक 30.06.2014 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26.12.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official